राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः–प.25(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2019

दिनांकः 21/11/2019

आदेश

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा न्यायालय न्यायिक प्रकरणों से संबंधित मूल रिकार्ड बहुत ही अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता हैं। नोटशीट पत्रावली से अलग पायी जाती हैं जिससे बडी असुविधा होती हैं कई बार तो नोटशीट कट–फट भी जाती हैं।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव गणों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन समस्त विभागों में किसी भी न्यायिक प्रकरण में न्यायालय में मूल रिकोर्ड व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जावे। एवं नोटशीट पत्रावली के साथ उसके ऊपरी भाग पर दो लेस से व्यवस्थित रूप से बंधी होनी चाहिए ताकि उसका आसानी से अवलोकन किया जा सके एवं आगे की कार्यवाही से संबंधित नोटशीट आसानी से जोडी जा सके।

कृपया इस आदेश की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करावे।

–Sd–
(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / शासन सचिवगण
3. समस्त निगम / बोर्ड / आयोग
4. महाधिवक्ता, राजस्थान को उनके पत्र के क्रम में प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव